प्रेस नोट संख्या 42

दिनांक 19.03.2024

सराहनीय कार्य थाना संग्रामपुर पुलिस

04 घण्टे में घटना का अनावरण, कुल 2150/- रुपयों के साथ 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद ।

दिनांक 18.03.2024 को वादी **श्री नरेन्द्र पुत्र माखन निवासी हारामऊ थाना रूरा जनपद कानपुर देहात** द्वारा थाना संग्रामपुर पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि मै ग्राम रानीपुर कनू में कपड़ों को फेरी लगाकर आ रहा था तभी रास्ते में 02 अज्ञात व्यक्तिय द्वारा प्रार्थी की जेब से 7000/- रुपये छीन लिये थे। उक्त सूचना पर थाना संग्रामपुर पर मु0अ0सं0 61/24 धारा 356,506 भादवि पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही थी। घटना का त्वरित संज्ञान लेते हुये शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक अमेठी द्वारा टीमों का गठन कर आवश्यक आदेश-निर्देश दिए गये थे।

जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान व उक्त घटना के अनावरण के क्रम में उ0नि0 रामप्रकाश यादव थाना संग्रामपुर मय हमराही द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहन के दौरान मुखबिर के प्राप्त सूचना के आधार पर मु0अ0सं0 61/24 धारा 356,506 भादवि से संबन्धित 02 नफर अभियुक्तों 1.सूरज सिंह पुत्र स्व0 मथुरा सिंह निवासी बनसोन पट्टी भैरोपुर थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी उम्र करीब 25 वर्ष व 2.शिवम शुक्ला पुत्र वीरेन्द्र कुमार शुक्ला निवासी सहजीपुर थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी उम्र करीब 23 वर्ष को मालती नदी पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। जामातलाशी में गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से कुल 2150 रुपये बरामद हुये। उक्त मोटरसाइकिल के कागज मांगने पर दिखाने में कासिर रहे।

बरामद रुपयों के संदर्भ में गिरफ्तार अभियुक्त सूरज सिंह ने बताया कि दिनांक 18.03.2024 को मैनें अपने दोस्त के साथ अपनी प्लेटिना मोटरसाइकिल सं0 UP36N1156 से ग्राम रानीपुर कनू गांव के पास एक फेरी वाले की जेब से पैसे निकाल लिए थे। बरामद रुपये उसी घटना से संबन्धित है। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबन्ध में थाना संग्रामपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1. सूरज सिंह पुत्र स्व0 मथुरा सिंह निवासी बनसोन पट्टी भैरोपुर थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी उम्र करीब 25 वर्ष।
2. शिवम शुक्ला पुत्र वीरेन्द्र कुमार शुक्ला निवासी सहजीपुर थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी उम्र करीब 23 वर्ष ।

बरामदगी-

1. कुल 2150/- रुपये।
2. 01 अदद प्लेटिना मोटरसाइकिल सं0 UP36N1156 की घटना में प्रयुक्त।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

- मु0अ0सं0 61/24 धारा 356,506,411 भादवि थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।
- प्लेटिना मोटरसाइकिल सं0 UP36N1156। (धारा 207 एमवी एक्ट)

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 रामप्रकाश यादव थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।
2. उ0नि0 शेषबहादुर यादव थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।
3. का0 श्रीचन्द्र यादव थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।